न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 133/2019 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2019/00054**
दायर दिनांक :– 25.06.2019 **निर्णय दिनांक :– 22.08.2025**

1. कानसिंह पुत्र सगतसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
2. धूडसिंह पुत्र सगतसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
3. खुमाकंवर पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
4. छैलुसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
5. हीरसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
6. गुलाबसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
7. प्रेमसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
8. हिम्मतसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
9. महेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. अचलसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
2. नखतसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
3. उतमसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
4. भगवानसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
5. चन्दनसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
6. धापूकंवर पुत्री सांगसिंह जाति राजपूत निवासी नयाबेरा तहसील लोहावट जिला फलोदी
7. कमूखां पुत्र उस्मानखां जाति मुसलमान निवासी देणोक तहसील बापिणी जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधि. प्रार्थीगण
2 श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. अ. सं. 1 ता 5

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का तुलनात्मक संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि प्रार्थीगण को अपने हिस्से की कब्जा काश्त की भूमि से अप्रार्थीगण द्वारा बेदखल कर दिया जाता है

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

तो उससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों में किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार नैसर्गिक न्याय के तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में होने से उक्त वाद में प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 की पीढियों से कदिमी पैतृक काश्त भूमि ग्राम दुर्गाणी पटवार क्षेत्र टेपू उर्फ जोधाणी तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 224 रकबा 72–00 बीघा, खसरा नम्बर 225 रकबा 188–08 बीघा, खसरा नम्बर 256 रकबा 86–02 बीघा, खसरा नम्बर 223 रकबा 0–11 बीघा तथा खसरा नम्बर 255 रकबा 20–17 बीघा स्थित है। उक्त वर्णित काश्त भूमि वक्त भू–प्रबन्ध सगतसिंह, पन्नेसिंह, सांगसिंह पि. जवारसिंह के नाम पैमाईश होकर खातेदारी के राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त में दर्ज की गयी। खातेदार सगतसिंह, पन्नेसिंह, सांगसिंह सगे भाई थे। पन्नेसिंह का लाऔलाद देहान्त हो जाने पर पन्नेसिंह का 1/3 हिससा उसके भाई सगतसिंह एवं सांगसिंह में हिन्दू उत्तराधिकार विधि के माफिक कानूनन निहित हुआ, जिस पर सगतसिंह का 1/2 हिस्सा एवं सांगसिंह का 1/2 हिस्सा हुआ, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 अचलसिंह ने वादग्रस्त भूमि में खातेदार पन्नेसिंह के स्थान पर तत्कालीन पटवारी हल्का एवं सरपंच ग्राम पंचायत से मिलावट कर पन्नेसिंह के स्थान पर अपने नाम का नामान्तरकरण संख्या 7/23 ग्राम दुर्गाणी कतई बिना किसी वारिसान के जाचं के और सगतसिंह को सुनवाई का अवसर दिये बिना सरासर गलत स्वीकृत करवाकर नामान्तरकरण का इन्द्राज जमाबंदी अभिलेख में किया गया। प्रार्थीगण सगतसिंह के वारिसान है और पन्नेसिंह के देहान्त पर सगतसिंह को वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा प्राप्त होने तथा सगतसिंह के देहान्त के बाद सगतसिंह का 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण को कानूनन प्राप्त हुआ है। प्रार्थीगण खातेदार पन्नेसिंह के देहान्त पर उसके वारिसान के नाम गलत विरासत नामान्तरकरण संख्या 7/23 दुर्गाणी को निरस्त करवाकर वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण अपने 1/2 हिस्सा के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के हकदार है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उनकी 1/2 हिस्सा कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करने को उतारू है। अप्रार्थीगण इस मकसद में सफल हो जाते है जो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन नहीं किया जा सकेगा। प्रार्थीगण 1/2 हिस्सा भूमि पर अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने एवं अप्रार्थीगण संख्या 7 अजनवी केता के गलत खुदवाये गये कृषि नलकूप को ध्वस्त करवाने के अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की और से राजेन्द्रसिंह सोलकी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना–पत्र, जवाब प्रार्थना–पत्र, जमाबंदी, नामान्तरकरण, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादगस्त भूमि की खतोनी बन्दोबस्त, नामान्तरकरण का अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम टेपू उर्फ जोधाणी के खसरा नम्बर 224 रकबा 72–00 बीघा, खसरा नम्बर 225 रकबा 188–08 बीघा, खसरा नम्बर 256 रकबा 83–02 बीघा, खसरा नम्बर 223 रकबा 0–11 बीघा, खसरा नम्बर 255 रकबा 20–17 बीघा भूमि सगतसिंह, पन्नेससिंह, सांगसिंह पि. जवारसिंह के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। पन्नेसिंह के फौत होने पर 1/3 हिस्से की भूमि उतराधिकारी अचलसिंह पुत्र सांगसिंह के नाम जरिये नामान्तरकरण दर्ज की गयी, जो वर्तमान में अचलसिंह के नाम दर्ज है। उक्त नामान्तरकरण किसी भी न्यायालय द्वारा आक्षेपित नहीं है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा है या नहीं इनका निर्धारण मूल वाद तय किया जाना है। अगर प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को आराजी के उपयोग व उपयोग, कृषि कार्य करने में असुविधा होगी। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र और जमाबंदी, नामान्तरकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि पन्नेसिंह के फौत होने पर 1/3 हिस्से की भूमि उतराधिकारी अचलसिंह पुत्र सांगसिंह के नाम जरिये नामान्तरकरण दर्ज की गयी, जो वर्तमान में अचलसिंह के नाम दर्ज है। उक्त नामान्तरकरण किसी भी न्यायालय द्वारा आक्षेपित नहीं है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में उपभोग, उपयोग, कृषि इत्यादि कार्य से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

22/8/18

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत धारा 88,188,91,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुवे है तथा अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण खारिज किया जाता पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.) सत्यमेव जयते

22/8/25

(सुखाराम मिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)